

## विश्वभारती

### परिपत्र

सं. स्था./ई-III/आईपीआर

18 जनवरी, 2021

विषय : सीसीएस आचरण नियमावली नियम 18 (1) के तहत विश्वभारती के कार्मिकों द्वारा अचल/चल संपत्ति की उद्घोषणा।

विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्मिक (समूह 'क' एवं 'ख') सहित संकाय सदस्यों को किसी भी संवर्ग या पद पर प्रथम नियुक्ति एवं मध्यांतर के उपरांत, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई, विहित प्रपत्र में उनके संपत्ति एवं देनदारियां से संबंधित निम्न ब्यौरा जमा करें।

(क) उनके द्वारा वंशागत अचल संपत्ति, या स्वयं का या लीज या बंधक पर उपार्जित की गई अथवा उनके स्वयं के नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो।

(ख) उनके द्वारा वंशागत शेयर, डिबेंचर एवं नकद सहित बैंक जमा या उनके द्वारा इसी तरह के स्वयं, उपार्जित की गई।

(ग) उनके द्वारा वंशागत अचल संपत्ति या इसी तरह के स्वयं, उपार्जित की गई; एवं

(घ) उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ली गई कर्ज एवं अन्य देयता।

विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक (समूह 'क' एवं 'ख') सहित संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक समाप्ति दिसंबर 2020 तक का विवरण संलग्न प्रोफॉर्मा में भरकर अनंतिम तिथि 31.01.2021 तक जमा करें।

यह यूजीसी से प्राप्त दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, सतर्कता अनुभाग, भारत सरकार के संलग्न कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण हेतु (सं. सी-19011/7/12- सत दिनांक 06 जनवरी 2021) जारी किए जाते हैं।

उक्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।

हस्ता/-

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

संलग्न : यथोपरी



सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. सभी निदेशक/सभी भवनों के प्रिंसिपल
2. सभी विभाग/केंद्र के प्रधान
3. वित्त अधिकारी, विश्वभारती
4. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
5. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, विश्वभारती
6. संयुक्त कुलसचिव (स्थापना)
7. उप कुलसचिव (प्रशा.) एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
8. सहायक कुलसचिव (बैठक)
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. हिंदी अधिकारी – अनुरोध है कि हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
11. विश्वविद्यालय वेब मास्टर – कृपया विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड करें।